

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)**

**दांडिक० प्रक० क०-597 / 16**

**संस्थापित दि० 26 / 09 / 16**

**फाईलिंग नं. 233504003262016**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

राजकुमार पिता गोंदू मर्सकोले, उम्र 29 वर्ष,  
जाति गोंड, पेशा मजदूरी, नि०ग्राम काजी जामठी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----- **अभियुक्त**

--: **निर्णय :-**

**(आज दिनांक 20 / 02 / 2017 को घोषित)**

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 498 "ए" के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 19 / 06 / 16 समय 1:00 बजे दिन के व इसके पूर्व से फरियादीया के घर के सामने ग्राम काजी जामठी, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादिया सरिताबाई जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की।

2- दिनांक 20 / 02 / 17 को फरियादी सरिताबाई और अभियुक्त के मध्य राजीनामा होने से भा०द०वि० की धारा 323 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी काजी जामठी रहती है। मजदूरी करती है। करीब एक बजे बकरी लेकर जंगल से घर वापस आई उसका पति राजकुमार आरोपी घर पर शराब पिये हुए था, तब उसने उसके पति से कहा कि रोज-रोज शराब क्यों पीते हो, शराब के लिए घर का गेहूँ और सारा सामान बेच दिया है, वह बच्चों को क्या खिलायेगी। इसी बात पर से उसको गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा और लकड़ी उठाकर उसको मारा, जो उसके बाँए हाथ के भुजा पर कोहनी पर एवं दाहिने पैर कि पिंडली पर चोट आई। उसे उसका पति शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, कहता है कि उसे जान से खतम कर देगा। घटना का बीच बचाव रजियाबाई और मोहल्ले के लोगों ने किया।

4- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 है जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध

अपराध क्रमांक 296/16 भा.द.सं धारा-498 "ए", 323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 21/06/16 को मौका नक्शा प्र.पी. 2 तैयार किया गया। दिनांक 19/09/16 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक अनुसार सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 3 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया। दिनांक 19/09/16 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 4 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

"क्या आपने दिनांक 19/06/16 समय 1:00 बजे दिन के व इसके पूर्व से फरियादीया के घर के सामने ग्राम काजी जामठी, थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादिया सरिताबाई जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की?"

**:- निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**  
**विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण**

7- अभियोजन साक्षी सरिताबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि करीब 1 बजे बकरी लेकर जंगल से घर आई उसका पति राजकुमार घर पर शराब पीया हुआ था, तब उसने पति से कहा रोज-रोज शराब क्यों पीते हो, शराब के लिए घर का गेहूँ व सारा सामान बेच दिया हैख बच्चों को क्या खिलाऊँ। इस बात को लेकर उसके पति ने गंदी-गंदी गालियाँ दिया था और कहा सुनी हुई थी। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न में इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि प्र०पी० 1 की रिपोर्ट का अ से अ भाग और लकड़ी उठाकर.....लोगों ने किया है, की रिपोर्ट पुलिस को लिखाई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस कथन प्र०पी० 5 का अ से अ भाग लकड़ी उठाकर उसने.....में कराई थी, के बयान पुलिस को नहीं दिये थे पुलिस ने कैसे लिखे वह कारण नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्त से उसका बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है।

8- इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त उसका पति है। आगे इस गवाह यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त और उससे उत्पन्न संतान एक लड़का और एक लड़की है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ किसी भी प्रकार से दहेज की मांग को लेकर कभी मारपीट नहीं किया। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पति ने उससे दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त के द्वारा उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की, का समर्थन

नहीं किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०द०वि० की धारा 498 "ए" के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादिया सरिताबाई जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादिया सरिताबाई जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। इस प्रकार अभियुक्त राजकुमार को भा०द०वि० की धारा-498 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०